(71) E 639/

दिनांक : 25.04.2019

अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का संशोधित संविधान

1. संस्था का नाम– इस संस्था का नाम अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा होगा।
2. संस्था का कार्यालय– संस्था का केन्द्रीय पंजीकृत कार्यालय महासभा भवन, ए–29, दयानंद कालोनी, लाजपत नगर चार, नई दिल्ली–110024 में होगा।
3. कार्यक्षेत्र– महासभा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा।
4. संस्था का उद्देश्य–
 1. स्वजातीय लोगों में शिक्षा–विज्ञान का प्रचार एवं प्रसार तथा उसके निर्वाह का उपाय करना।
 2. तैलिक स्वाजातीय शाखाओं तथा उपशाखाओं के भेदभाव को मिटाकर एकता तथा संगठन के सूत्र में बांधना। अंतर्प्रांतीय तथा अंतर्शाखा विभागों का प्रचलन करना।
 3. स्वजातीय लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, शारीरिक शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रयास करना।
 4. स्वजातीय लोगों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास का उन्मूलन करना।
 5. स्वजातीय महिला वर्ग में जागृति उत्पन्न करना। नारी शिक्षा का प्रसार करना।
 6. स्वजातीय लोगों को विभिन्न उद्योग धंधों के प्रति प्रेरित करना तथा प्रशिक्षण देना।
 7. भारतीय संविधान सतत नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति लोगों का जागृत करना। सामाजिक, जातिगत एवं आर्थिक असमानता के कारण ऊंच–नीच को दूर करना।
 8. देश के भाषा एवं प्रांत के आधार पर संकीर्णता की भावना को समाप्त करना।
 9. स्वजातीय में परस्पर स्नेह तथा सहयोग की भावना उत्पन्न करना।
 10. भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से चल रही स्वजातीय संस्थाओं को महासभा से संबंध करना एवं एक सूत्र में बांधना।
 11. स्वजातीय संस्थाओं, विद्यालयों, धर्मशालाओं, मंदिरों एवं अन्य संपत्तियों का संरक्षण करना।
 12. देश में सामाजिक एकता एवं धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रसार करना।
 13. समाज में मानवीय एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों के ह्रास को रोकना तथा स्वस्थ समाज की स्थापना में सहयोग करना।
 14. समाज में जाति धर्म, लिंग, व्यवसाय के आधार पर असमानता की भावना को समाप्त करने का प्रयास करना।

4.1 सदस्यता–

(क) मुख्य संरक्षक सदस्यः– जो स्वजातीय व्यक्ति महासभा को कम से कम रूपया 1,00,000.00 (रूपये एक लाख मात्र) देंगे, वे मुख्य संरक्षक सदस्य होंगे।

(ख) संरक्षक सदस्यः– जो स्वजातीय व्यक्ति महासभा को कम से कम एक मुश्त रूपया 25,000.00 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) देंगे, वे महासभा के संरक्षक सदस्य होंगे।

(ग) अति विशिष्ट सदस्यः– जो स्वजातीय व्यक्ति महासभा को कम से कम रूपया 11,000.00 (रूपये ग्यारह हजार मात्र) देंगे, वे अति विशिष्ट सदस्य होंगे।

(घ) विशिष्ट सदस्यः– जो स्वजातीय व्यक्ति गहारभा को रूपया 5,000.00 (रूपये पांच हजार मात्र) देंगे, वे विशिष्ट सदस्य होंगे।

(ङ) आजीवन सदस्यः– जो स्वजातीय व्यक्ति महासभा को कम से कम रूपया 2100.00 (रूपये दो हजार एक सौ मात्र) देंगे, वे आजीवन सदस्य होंगे।

(च) वार्षिक सदस्यः– जो स्वजातीय व्यक्ति गहासभा को कम से कम रूपया 501.00 (रूपये पाँच सौ एक मात्र) देंगे, वे वार्षिक सदस्य होंगे।

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY
13/04/2021
READER TO SOCIETIES / FIRMS

(छ) सक्रिय सदस्यः– जो स्वजातीय व्यक्ति महासभा को कम से कम रूपये 251.00 (रूपये दो सौ इक्यावन मात्र) देंगे, वे सक्रिय सदस्य होंगे।

नोटः– महासभा के पूर्व संरक्षक सदस्य एवं अन्य सदस्य यथावत रहेंगे। वार्षिक सदस्य एवं सक्रिय सदस्य को छोड़कर अन्य वर्ग के सदस्यों को चुनाव में वोट देने एवं चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और वे बैठकों में लिये गये निर्णयों में भागीदार होंगे।

4.2 सदस्यता की समाप्तिः– निम्नलिखित किसी भी आधार पर महासभा की सदस्यता समाप्त मानी जावेगी।

1. जब सदस्य की मृत्यु हो जाय।
2. जब सदस्य स्वयं ही त्याग–पत्र दे दे।
3. जब सदस्य निर्धारित समय पर चंदा न जमा करे।
4. जब कोई सदस्य अनुचित कार्य/व्यवहार करे जो प्रबंध कार्यकारिणी (कार्यकारिणी समिति) के मत में न हो।

5. सामान्य सभाः– महासभा के सभी मुख्य संरक्षक, संरक्षक, अतिविशिष्ट, विशिष्ट तथा साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य, प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, महासभा की सामान्य सभा के सदस्य होंगे।

5.1 सामान्य सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–
(क) महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को सुझाव देना और इसके क्रियान्वयन में सहयोग देना।
(ख) प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के नामों का अनुमोदन करना।
(ग) सामान्य सभा की बैठक प्रति वर्ष में एकबार अवश्य होनी चाहिए।

5.2 सामान्य सभा के सदस्यों के अधिकार एवं विशेषाधिकार– महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैठकों में भाग लेना और सुझाव देना, निर्वाचन/अनुमोदन में भाग लेना तथा महासभा के नियमों एवं अनुशासन का पालन करना।

5.3 सामान्य सभा की सूचना तथा गणपूर्ति– सामान्य सभा की गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी। बैठक की सूचना, बैठक की तिथि से एक माह पूर्व डाक द्वारा भेजी जावेगी, परंतु विशेष आकस्मिक बैठक की सूचना कम से कम 21 दिन पूर्व भेजी जा सकती है। बैठक के दिन गणपूर्ति के अभाव में अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकते हैं और पुनः 30 मिनट बाद उसी दिन बैठक आहूत कर सकते हैं, जिसमें गणपूर्ति नहीं देखी जावेगी, परंतु इस बैठक में कम से कम 50 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र (अनुच्छेद 12 (2) के अनुसार) से कम से कम 5 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

6. प्रबन्ध समिति–

राष्ट्रीय अध्यक्ष–1, कार्यकारी अध्यक्ष–12, क्षेत्रवार (विशेष परिस्थिति में संख्या बढ़ाई जा सकती है)
उपाध्यक्ष–12 – क्षेत्रवार (विशेष परिस्थिति में संख्या बढ़ाई जा सकती है)
राष्ट्रीय महासचिव–1, अपर महासचिव–1, कोषाध्यक्ष–1
संगठन सचिव–12 क्षेत्रवार (विशेष परिस्थिति में संख्या बढ़ाई जा सकती है)
संयुक्त सचिव–12 क्षेत्रवार (विशेष परिस्थिति में संख्या बढ़ाई जा सकती है)
कार्यक्रम सचिव–1, राष्ट्रीय प्रवक्ता–1, कार्यालय सचिव–1, प्रधान सम्पादक–1, प्रकोष्ठ प्रभारी/अध्यक्ष–16 (युवा, महिला, राजनैतिक, वैवाहिक, विधि, व्यवसायिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, मीडिया, प्रचार–प्रसार, सांस्कृतिक, अभियन्ता, कर्मचारी–अधिकारी, छात्रवृत्ति एवं सहायता, किसान एवं विद्यार्थी)। प्रत्येक पद के पहले प्रकोष्ठ का नाम जोड़ा जायेगा।
प्रत्येक प्रकोष्ठों में एक–एक अध्यक्ष/प्रभारी, एक महामंत्री, एक प्रवक्ता, एक अपर महामंत्री, 12 जोनल कार्यवाहक अध्यक्ष, 12 जोनल उपाध्यक्ष,

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY
13/04/2021
READER TO SOCIETIES / FIRMS

12 जोनल संगठन सचिव, 12 जोनल संयुक्त सचिव एवं प्रत्येक राज्यों से 10–10 सदस्य नामित होंगे।

महासभा के मुख्य संरक्षक, संरक्षक, अति विशिष्ट सदस्य, विशिष्ट सदस्य एवं आजीवन सदस्य तथा प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारीगण भी इसके सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रत्येक राज्य से अधिकतम 10 सदस्यों को विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, नामित कर सकते हैं और उन्हें बैठक में बुला सकते हैं। सभी स्वजातीय सांसदगण, राज्यसभा सदस्यगण, विधायकगण, विधानसभा सदस्यगण, विभिन्न आयोगों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्य, महापौर, विभिन्न निगमों के अध्यक्ष व सदस्य महासभा के विशिष्ट आमंत्रित सदस्य होंगे और उन्हें भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बुलाया जायेगा। किन्तु ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

6.1 प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों का अनुमोदन (राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अपर महासचिव एवं कोषाध्यक्ष को छोड़कर) राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी।

6.2 प्रबन्धकारिणी का कार्यकालः– प्रबन्ध समिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से पांच वर्ष का होगा।

7. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितिः– (1) महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन होगा। इस समिति की बैठक प्रायः तीन माह में एक बार होगी। इस समिति में प्रत्येक राज्य से अधिकतम 10 सदस्य होंगे, जिनमें से सात सदस्यों को राज्यों की प्रांतीय सभाएं चयनित करेंगी तथा शेष तीन सदस्यों का मनोनयन महासभा के अध्यक्ष द्वारा होगा। समिति में महिलाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखना जरूरी होगा। महासभा के मुख्य संरक्षक, संरक्षक, अति विशिष्ट सदस्य, विशिष्ट सदस्य, आजीवन सदस्य एवं प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण भी इसके सदस्य होंगे। आवश्यकता पड़ने अध्यक्ष से अनुमति लेकर महामंत्री विशेष आकस्मिक बैठकें बुला सकते हैं। गणपूर्ति ना होने पर बैठक स्थगित कर पुनः 30 मिनट बाद बैठक की जा सकेगी, परंतु इसमें कम से कम 10 सदस्यों का होना और कार्यकारी अध्यक्षों में से एक कार्यकारी अध्यक्ष रहना आवश्यक होगा। विशेष आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा का विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकती है। समिति किसी विशेष कार्य के लिए अपने सदस्यों तथा विशेष गुण रखने वाले अन्य स्वजातीय लोगों को मिलाकर उपसमिति नियुक्त कर सकती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना राष्ट्रीय महासचिव सदस्यों के पास कम से कम 21 दिन पूर्व भेजेंगे।

(2) अध्यक्ष एवं महामंत्री अन्य किसी भी सदस्य को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्यकारिणी समिति की बैठक में बुला सकते हैं, किंतु ऐसे आमंत्रित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का कार्य महासभा के उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति एवं निर्वाह करना, पदाधिकारियों का अनुमोदन करना, आय–व्यय विवरण को स्वीकृत करना तथा महासभा के अन्य निर्णयों को कार्यरूप में परिणित करना है।

(4) अध्यक्ष को महासभा के कार्य के आने जाने पर मार्ग व्यय महासभा के फंड से धन की उपलब्धता होने पर दिया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव एवं अन्य मंत्रियों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति पर महासभा के कार्य से आने जाने के लिए मार्ग व्यय आदि महासभा के कोष से दिया जा सकता है परंतु किसी को भी बस अथवा रेल साधारण शयन श्रेणी से अधिक भाड़ा देय नहीं होगा। आने–जाने के किराये की धनराशि की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय महासचिव को छोड़कर अन्य द्वारा बनाये गये सदस्यों की धनराशि में से दस प्रतिशत की धनराशि के बराबर होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव को एसी तृतीय या विशेष परिस्थिति में रेल का टिकट न मिलने पर किसी भी साधन एवं किसी भी श्रेणी में यात्रा करने पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति महासभा द्वारा की जायेगी।

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY
12/04/2021
READER TO SOCIETIES / FIRMS

(5) महासभा में एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धान्त पर प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय पदों को मिलकर केवल किसी एक पद पर ही नामित किया जायेगा।

(6) किसी पदाधिकारी का स्थान आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाने पर समिति के बहुमत के आधार पर उसकी पूर्ति करने का अधिकार होगा।

(7) यदि किसी समय कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाय, जिसका निर्वाह नियमावली के किसी भी नियम से न होता हो तो उस अवस्था में प्रबंध समिति को उचित निर्णय लेने के लिए विशेष अधिकार होगा परंतु उसके बाद उस निर्णय का अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के तीन माह के अंदर लेना होगा।

7.1 प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का चयनः– प्रबंध समिति के पदाधिकारियों (राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय अपर महासचिव एवं कोषाध्यक्ष को छोड़कर) उनका अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति बहुमत के आधार पर करेगी तथा इसका अनुमोदन सामान्य सभा द्वारा तीन माह के भीतर प्राप्त किया जायेगा।

7.2 कार्यकालः– प्रबंध समिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कार्यकाल निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि से 05 वर्ष का होगा, लेकिन विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अधिकतम 06 माह तक के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है।

7.3 बैठकों का आयोजनः– इस समिति की बैठक प्रायः तीन माह में एक बार होगी

8. महासभा संगठन में निम्नलिखित संस्थाएं होंगीः–

1. अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की सामान्य सभा।
2. अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति।
3. महासभा की प्रबंध समिति।
4. महासभा की प्रान्तीय सभाएं।
5. महासभा का युवा संगठन।
6. महासभा का महिला संगठन।
7. स्नेही समाज संगठन।
8. महासभा का राजनैतिक संगठन।
9. महासभा का वैवाहिक संगठन।
10. महासभा का मीडिया संगठन।
11. महासभा का विधि संगठन।
12. महासभा का व्यवसायिक संगठन।
13. महासभा का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संगठन।
14. महासभा का शिक्षा संगठन।
15. महासभा का प्रचार–प्रसार संगठन।
16. महासभा का सांस्कृतिक संगठन।
17. महासभा का अभियन्ता संगठन।
18. महासभा का कर्मचारी–अधिकारी संगठन।
19. महासभा का छात्रवृत्ति व सहायता संगठन।
20. महासभा का किसान संगठन।
21. महासभा का विद्यार्थी संगठन।

सभी संगठनों पर सामान्य नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति का होगा। परन्तु दिन प्रतिदिन के अपने कार्यो हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव की स्वीकृति के पश्चात वे स्वतंत्र होंगे। महासभा के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करते हुए उपरोक्त अनुशांगिक संस्थायें अर्थात महिला, युवक एवं स्नेही एवं अन्य संस्था एवं अपने कार्य एवं व्यवहार के संचालन हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महासचिव के अनुमोदन के पश्चात पृथक नियम बना सकते हैं। इन नियमों की स्वीकृति प्रबन्ध समिति से लेनी होगी।

8.2 (क) महासभा के अधिवेशनः– महासभा का अधिवेशन उन तिथियों तथा स्थानों पर हुआ करेगा जिसकी स्वीकृति पूर्व अधिवेशन अथवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा मिल गयी हो।

(ख) आवश्यकता होने पर महासभा का विशेष अधिवेशन कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति मिलने पर हो सकता है।

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY

13/04/2021

READER TO SOCIETIES / FIRMS

9. जिला तथा प्रांतीय सभाएंः– एक जिले के इलाके में जितनी स्थानीय सभाएं होंगी वे मिलकर एक जिला सभा का संगठन करेंगी तथा एक प्रांत के इलाके में जितनी जिला सभाएं होंगी, वे मिलकर एक प्रांतीय सभा का गठन कर सकती है। महासभा से सम्बद्ध होने के लिए प्रांतीय सभा रूपया 10,000/– (रूपया दस हजार मात्र) सम्बद्धता शुल्क प्रति तीन वर्ष में प्रदेश के चुनाव उपरान्त देगी। स्थानीय जिला तथा प्रान्तीय सभा का कर्तव्य होगा कि वे महासभा के उद्देश्यों, नियमों, निर्णयों तथा निर्देशों का पालन और प्रसार करेगी। वे सभी सभाएं महासभा की अभिन्न अंग होंगी और महासभा के हित के विरूद्ध कार्य नहीं करेंगी।

10. स्थानीय जिला तथा प्रान्तीय सभा का महासभा से सम्बन्धः– महासभा से सम्बद्ध सभाएं महासभा के नियमों का उल्लंघन न करते हुए अपने व्यवहार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महासचिव के अनुमोदन के पश्चात अलग नियम बना सकती हैं। महासभा के राष्ट्रीय महासचिव के पास उक्त नियमावली की दो प्रतियां भेजकर महासभा द्वारा सम्बद्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगी।

11. अधिवेशन हेतु स्वागत समिति–

(क) उस स्थान पर जहां महासभा अधिवेशन होना निश्चित हुआ है उसकी राज्य इकाई के संरक्षण में एक स्वागत समिति अधिवेशन की निश्चित तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व बनाई जायेगी और उसकी स्वीकृति राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महासचिव से ली जायेगी, जिसका कर्तव्य महासभा के अधिवेशन तथा प्रतिनिधियों के सत्कार का प्रबंध करना होगा।

(ख) स्वागत समिति के सदस्य उसी राज्य के होंगे, जिस राज्य में महासभा का अधिवेशन होगा। समिति के सदस्यों में से ही समिति के पदाधिकारी चयनित होंगे।

(ग) स्वागत समिति को प्रतिनिधियों से फीस की रकम निश्चित करने और अधिवेशन हेतु विशेष चंदा एकत्रित करने का अधिकार होगा।

(घ) अधिवेशन के समाप्त होने के पश्चात दो माह के अंदर स्वागत समिति अधिवेशन की रिपोर्ट उसके आय–व्यय के विवरण आदि प्रकाशित करायेगी और उसकी एक–एक प्रति महासभा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव तथा केन्द्रीय कार्यालय के पास भेजेगी।

(च) अधिवेशन समाप्त होने पर जो धन खर्च करने के उपरांत और शेष राशि रहेगी, उसमें से 40 प्रतिशत स्थानीय सभा, 35 प्रतिशत प्रान्तीय सभा का और 25 प्रतिशत महासभा को। अधिवेशन समाप्त होने के तीन माह के अंदर उनके कोष में जमा करायेगी।

(छ) स्वागत समिति अधिवेशन का आय–व्यय लेखा आदि अधिवेशन समाप्त होने के तीन महीने के अंदर महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय कार्यालय को नहीं भेजी, तो प्रबंध समिति को अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे उक्त हिसाब की जांच एवं शेष धन की वसूली के लिए कार्यवाही करे।

12. महासभा के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः–

1. अध्यक्ष– महासभा के वर्तमान अधिवेशन से लेकर उसके अगले अधिवेशन के पूर्व तक महासभा के अध्यक्ष रहेंगे। महासभा के प्रबंध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सभापति होंगे। किसी विषय में मतों की संख्या समान होने पर वह अपना निर्णायक मत देंगे। महासभा के कार्यों के संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष पर होगा, जिसके लिए वह समय–समय पर आवश्यक निर्देश राष्ट्रीय महासचिव तथा अन्य पदाधिकारियों को देंगे।
2. कार्यकारी अध्यक्षः– महासभा के कार्य संचालन में अध्यक्ष को अपने कार्य क्षेत्र में यथोचित मदद करना ही सबका प्रमुख कार्य होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा मनोनीत कार्यकारी अध्यक्ष और ऐसा न होने पर कार्यकारी अध्यक्षों में वरिष्ठ कार्यकारी अध्यक्ष महासभा का कार्य संचालन करेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष महासभा के अध्यक्ष के निर्देशानुसार अपना कार्य करेंगे तथा सहयोग करेंगे।
3. उपाध्यक्षः– राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति के 12 उपाध्यक्ष अपने कार्य क्षेत्र में संबंधित कार्यकारी अध्यक्षों/अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
4. राष्ट्रीय महासचिवः– महासभा के अध्यक्ष ही राष्ट्रीय महासचिव को मनोनीत करेंगे। महासभा के कार्यों की देखरेख करना, महासभा की ओर से पत्र व्यवहार करना, महासभा संबंधित सभी कागजात पत्रों को सम्भाल कर रखना, बैठकों की कार्यवाही

REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY
18/04/2021
READER TO SOCIETIES / FIRMS

रिपोर्ट तैयार करना। महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को कार्यरत रखना, महासभा के आय–व्यय का हिसाब कोषाध्यक्ष से समय–समय पर लेना एवं महासभा के प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणित करना राष्ट्रीय महासचिव का कार्य होगा। राष्ट्रीय महासचिव महासभा के कार्य हेतु रूपया 10,000/– (रूपया दस हजार मात्र) तक किसी एक समय में खर्च कर सकते हैं। अधिक की आवश्यकता पर अध्यक्ष की पूर्व अनुमति लेकर रूपया 20,000/– (रूपया बीस हजार मात्र) तक खर्च कर सकते हैं। रूपया 20,000/– से अधिक खर्च के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक है। कैम्प कार्यालय में महासभा के दिन प्रतिदिन के कार्यों हेतु राष्ट्रीय महासचिव रूपया 5,000/– (रूपया पाँच हजार मात्र) प्रतिमाह की दर से एक पार्ट टाईम लिपिक नियुक्त कर सकते हैं तथा प्रतिदिन के लेखा–जोखा हेतु राष्ट्रीय महासचिव एक पेटी कैशबुक, कैश रसीद बुक एवं सदस्यता रजिस्टर रख सकते हैं, जिसका समायोजन केन्द्रीय लेखा–जोखा में सम्मिलित होगा।

5. अपर महासचिवः– अपर महासचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महासचिव के निर्देशन में कार्य करेंगे। उनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में सहयोग देंगे।
6. कोषाध्यक्षः– महासभा के धन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित बैंक में जमा करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाते का संचालन करना, आय–व्यय विवरण तैयार करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महासचिव को देना, कैशबुक, कैश रसीद एवं सदस्यता रजिस्टर का रख–रखाव करना, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष लेखा–जोखा प्रस्तुत करना आय–व्यय के विवरण की जांच लेखा परीक्षक/चार्टर एकाउन्टेंट से कराना व बैलेंस शीट तैयार करना, आयकर रिटर्न भरना, पैन नम्बर आवंटित कराना, एवं विभिन्न राज्यों में जाकर सदस्यता अभियान चलाना आदि कोषाध्यक्ष का कार्य होगा।
7. संगठन मंत्रीः– अपने–अपने कार्यक्षेत्र में महासभा के विभिन्न शाखाओं का संगठन एवं एकीकरण करना और महासभा के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि का प्रचार–प्रसार करना संगठन मंत्री के मुख्य कार्य होंगे। वह राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और कार्यकारी अध्यक्षों का महासभा के कार्यों में सहयोग करेंगे।
8. संयुक्त सचिवः– राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव के निर्देशन में कार्य करेंगे एवं महासभा का सहयोग करेंगे।
9. लेखा परीक्षकः– समय–समय पर आय–व्यय लेखा एवं कैशबुक का निरीक्षण करना तथा वर्ष में एकबार सम परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महासचिव को देना, जिसे कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

13. विशेष नियमः– महासभा के सभी पदाधिकारी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण उस समय तक पदासीन रहेंगे, जबतक उनके स्थान पर नवनिर्वाचन नहीं हो जाता है।
14. महासभा के प्रतिनिधिः– 14क, ख पूर्ववत ग में प्रतिनिधि शुल्क रूपये 100.00 लिए जायेंगे।
15. महासभा के पदाधिकारी एवं निर्वाचनः– महासभा के कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1. राष्ट्रीय अध्यक्षः– राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु कम से कम दो माह पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी। निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव के सहयोग से मुख्य संरक्षक सदस्य, संरक्षक सदस्य, अति विशिष्ट सदस्य, विशिष्ट सदस्य एवं आजीवन सदस्यों, प्रबन्ध समिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की एक संयुक्त सूची तैयार करेंगे। इस सूची की एक प्रति केन्द्रीय कार्यालय में प्रकाशित की जायेगी। इस सूची के बारे में कोई आपत्ति सूची के प्रकाशन के तिथि से एक सप्ताह के अंदर ही अनुमान्य होगी। जिसकी सुनवाई का अधिकार निर्वाचन अधिकारी को होगा। जो आपत्ति निर्धारित अंतिम तिथि से एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करेगा। मतदाता सूची के एक प्रति रूपये 1000/– (रूपया एक हजार मात्र) के भुगतान पर निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। इस मतदाता सूची के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा निर्धारित स्थान पर चुनाव होंगे।

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH-EAST

CERTIFIED COPY

13/04/2021

READER TO SOCIETIES / FIRMS

2. कार्यकारी अध्यक्षः– राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के 12 कार्यकारी अध्यक्षों को चयन करेगी। भारत को इस उद्देश्य से निम्नानुसार 12 क्षेत्रों में विभाजित किया गया हैः–
 1. तमिलनाडू, पाण्डीचेरी, अण्डमान, निकोबार
 2. आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना
 3. कर्नाटक, केरल
 4. गुजरात, दमन दीव, राजस्थान
 5. महाराष्ट्र गोवा
 6. पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, दिल्ली
 7. सिक्किम, अरूणाचल, मेघालय, मिजोरम
 8. असम, पश्चिमी बंगाल
 9. उड़ीसा, छत्तीसगढ़
 10. मध्य प्रदेश, हिमांचल प्रदेश
 11. बिहार, झारखण्ड
 12. उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड

 प्रत्येक क्षेत्र में एक–एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा।
3. उपाध्यक्षः– राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति 12 उपाध्यक्ष का चयन करेगी। जो प्रत्येक जोन में एक–एक उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा प्रत्येक राज्य की सभा के अध्यक्ष महासभा के पदेन उपाध्यक्ष होंगे। वे राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी रहेंगे।
4. राष्ट्रीय महासचिवः– महासभा के अध्यक्ष ही राष्ट्रीय महासचिव को मनोनीत करेंगे।
5. राष्ट्रीय अपर महासचिवः– महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अपर महासचिव को मनोनीत करेंगे।
6. मंत्रीः– प्रान्तीय महासभाओं के महामंत्री महासभा के पदेन मंत्री होंगे।
7. संगठन सचिवः– कार्यकारी अध्यक्षों की भांति प्रत्येक क्षेत्र में एक संगठन मंत्री होगा। कुल 12 संगठन मंत्रियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे।
8. संयुक्त सचिवः– प्रत्येक क्षेत्र में एक संयुक्त सचिव होंगे जिसका मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे।

 संगठन मंत्री एवं संयुक्त सचिव अपने–अपने कार्य क्षेत्र में महासभा के विभिन्न शाखाओं का संगठन का एकीकरण करना और महासभा के उद्देश्यों, कार्यक्रमों, योजनाओं आदि का प्रचार प्रसार करना मुख्य कार्य होगा। संगठन सचिव एवं संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव एवं कार्यकारी अध्यक्षों के महासभा के कार्यो में सहयोग करेंगे।
9. कोषाध्यक्षः– महासभा के धन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित बैंक में जमा करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव के संयुक्त रूप से बैंक खाते का संचालन करना। आय–व्यय विवरण को तैयार करना और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव को देना। कैशबुक, कैश रसीद, सदस्यता रजिस्टर एवं अन्य कोष से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव करना, लेखा परीक्षक/चार्टर एकाउन्टेंट से परीक्षण कराकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के समक्ष लेखा–जोखा प्रस्तुत करना, प्रदेशों में जाकर सदस्यता अभियान चलाना, बैलेंस शीट तैयार करना, आयकर रिटर्न भरना कोषाध्यक्ष का कार्य होगा।
10. कार्यालय मंत्रीः– राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव के परामर्श से कार्यालय एवं कैम्प कार्यालय के संचालन हेतु एक–एक कार्यालय मंत्री की नियुक्ति वैतनिक एवं अवैतनिक आधार पर कर सकते हैं। वैतनिक होने पर उसका व्यय महासभा से देय होगा।

 टिप्पणीः– कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को कम से कम रूपया 1000/– वार्षिक सहयोग धनराशि देनी होगी। टिप्पणी 2, 3, 4, पूर्ववत टिप्पणी के अनुसार। जो पदाधिकारी/सदस्य सदस्यता अभियान के अन्तर्गत अधिक से अधिक सदस्य बनायेंगे, उन्हें इस कार्य में आने–जाने के व्यय हेतु बनाये गये सदस्यों की धनराशि में से अधिकतम 10 प्रतिशत की धनराशि मांगने पर देय होगी।

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY
13/04/2021
READER TO SOCIETIES / FIRMS

11. प्रोत्साहनः– 1. जो पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, आजीवन सदस्य, 100 से अधिक आजीवन सदस्य बनायेंगे, उन्हें कांस्य पदक, जो 300 से अधिक आजीवन सदस्य बनायेंगे, उन्हें रजत पदक एवं 500 से अधिक सदस्य बनायेंगे उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जायेगा।

2. जो प्रदेश 1000 से अधिक आजीवन सदस्य बनायेंगे, उन्हें स्व0 दीन बन्धु साहू ट्राफी एवं जो 500 से अधिक आजीवन सदस्य बनायेंगे उन्हें स्व0 केसरबाई क्षीरसागर ''काकू'' ट्राफी प्रदान किया जायेगा।

16. महासभा का वित्तीय वर्षः– महासभा का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होगा।

17. शिक्षा के प्रचारार्थः– महासभा का कम से कम रूपया 5,00,000/– (रूपया पांच लाख मात्र) का स्थायी कोष होगा। यह फंड किसी बैंक या बैंकों में महासभा के नाम से जमा होगा। इस फंड का संचालन बैंक में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव व कोषाध्यक्ष तीनों के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। इसके ब्याज से स्वजातीय निर्धन मेधावी छात्रा, छात्राओं को सहायता व छात्रवृत्ति दी जायेगी। इसके मूलधन को किसी भी दशा में खर्च नहीं किया जायेगा।

18. महासभा अपने स्वजातीय लोगों में शिक्षा प्रसार एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण हेतु विद्यालयों, महाविद्यालयों या किसी संस्था की स्थापना कर सकती है। इसके लिए अलग से ट्रस्ट या समिति बनायी जा सकती है।

19. स्मृति पत्र में अंकित उद्देश्यों तथा नियमों में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति को होगा, परन्तु उस परिवर्तन/संशोधन की पुष्टि सामान्य सभा द्वारा होना आवश्यक है। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि शिक्षा स्थायी फंड को समाप्त अथवा कम नहीं किया जा सकता है।

20. न्यायालय सम्बन्धी मुकदमों में जिसमें महासभा पक्षकार हो पैरवी राष्ट्रीय महासचिव/राष्ट्रीय अपर महासचिव द्वारा की जावेगी। यदि आवश्यकता प्रतीत होती है तो अन्य किसी को भी प्रबंध समिति नियुक्त कर सकती है। राष्ट्रीय महासचिव/राष्ट्रीय अपर महासचिव अथवा अन्य पैरवी कर्ता का यह दायित्व होगा कि वह समय–समय पर अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के वादों की स्थिति का ब्यौरा देते रहेंगे। किसी मुकदमें का समाप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना प्रबन्ध समिति की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जा सकती है।

21. महासभा की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व महासभा में निहित होगा। किसी भी सम्पत्ति के क्रय, विक्रय एवं रेहन करने या उसके सम्बन्ध में कोई अनुबंध बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई बहुमत से निर्णय नहीं लिया जा सकता है। किसी सम्पत्ति का विक्रय करने के निर्णय का अनुमोदन सामान्य सभा द्वारा प्राप्त करना जरूरी होगा।

22. पत्रिका प्रकाशनः– राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के उद्देश्यों के प्रचार–प्रसार एवं पूर्ति हेतु महासभा के कार्यक्रमों एवं बैठकों का सुचारू रूप से प्रसारित करने तथा क्रियान्वयन करने के लिए महासभा समाचार पत्रिका प्रकाशित करेगी। इसके अतिरिक्त स्वजातीय महापुरूषों की जीवनी, इतिहास, समाज सुधार सम्बन्धी एवं प्रेरणादायिक साहित्य का प्रकाशन करेगी। महासभा समाचार पत्रिका का शुल्क प्रबन्ध समिति निश्चित करेगी।

23. राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति महासभा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यालय वाचनालय, पुस्तकालय आवास व्यवस्था, अतिथि गृह, शिक्षण एवं प्रशिक्षण आदि के लिए महासभा भवन या किसी महापुरूष के नाम पर भवन का निर्माण या क्रय कर सकती है।

24. आय के श्रोतों एवं धनराशि का सदुपयोगः– महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति एवं तत्संबंधित कार्यों में किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त दान लिया जा सकता है। सभी स्वजातीय बंधुओं से महासभा कोष में यथाशक्ति आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रहेगी। महासभा हेतु जो भी धन लिया जायेगा उसकी विधिवत रसीद जारी की जायेगी और कोष में जमा किया जायेगा।

25. संस्था की समाप्तिः– स्मृति पत्र के उद्देश्यों से स्पष्ट है कि उसका विघटन कभी नहीं होगा। उद्देश्यों की पूर्ति के पश्चात यदि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी तो इसका विघटन समिति पंजीयन नियम 1860 की धारा 13 व 14 के अनुसार किया जायेगा।

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY
13/04/2021
READER TO SOCIETIES / FIRMS

26. संस्था के स्मृति पत्र में संशोधन समिति पंजीयन कानून 1860 की धारा 12 व 12 ए के अनुसार ही किया जायेगा।
27. प्रतिवर्ष रजिस्ट्रार सोसाइटी के कार्यालय को संस्था के पदाधिकारियों की सूची पंजीयन कानून 1860 की धारा 4 के अनुसार भेजी जावेगी। यह उत्तरदायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष/राष्ट्रीय महासचिव का होगा।
28. समिति पंजीयन कानून 1860 के समस्त प्रावधान इस संस्था पर लागू होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियमों तथा विनियमों की सतप्रतिलिपि है।

राष्ट्रीय महासचिव

कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर

1. श्री एन. श्रीनिवास, राष्ट्रीय सलाहकार –

2. श्री ए.के. तेली, उपाध्यक्ष, गोवा –

3. श्री के.आर. हिंगनकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष –

4. श्री मनोहर साहू, संगठन सचिव, सेन्ट्रल जोन –

REGISTRAR (FIRMS & SOCIETIES) DISTRICT SOUTH EAST

CERTIFIED COPY

13/04/2021

READER TO SOCIETIES / FIRMS